सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 26 जून, 2015 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार :

मद सं. 1: 31 मार्च, 2015 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कारोबार :

मद सं. 3: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (योजना) और समय–समय पर संशोधित (विनियमों) के रूप में ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड या संबन्धित अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित, यदि कोई हों, अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी आवश्यक है और उनके द्वारा प्रदत्त ऐसी निर्धारित शर्तों, नियमों और संशोधनों के बारे में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के निदेशक मण्डल द्वारा सहमति होने पर तथा विनियमन के अधीन अर्थात सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (आईसीडीआर विनियमन) अब तक संशोधित , दिशानिर्देश, यदि कोई हों, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक , सेबी द्वारा जारी अधिसूचनाएं /परिपत्र एवं स्पष्टीकरण , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा अन्य सभी लागू कानून तथा समय समय पर सभी संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध करारों के अधीन जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं के बारे में बैंक के शेयधारकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/ या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/ और/ या अधिमनी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Friday, 26th June 2015 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare dividend on equity shares for the financial year 2014-2015.

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (Scheme) and the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended (Regulations) from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the

हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा , बेमीयादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमनी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को (ग्रेव एक्सेंट) 1500 करोड़ तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि–आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के द्वारा होगा, और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 (आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/ हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य /मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि सुसंगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (अंतरण या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम 2000 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजव बैंक, विदेशी निवेश प्रोत्साहन

guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, for an amount not exceeding ₹1500 crore in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, private placement, employee stock purchase scheme, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the provisions of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations,

बोर्ड (एफ़आईपीबी) औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) या ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां समूहिक रूप से उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृत (तत्पश्चात औचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी से साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में भारत सरकार का किसी भी समय इक्विटी शेयर 52% से कम न हो और जो आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) (आईसीडीआर विनियम में परिभाषित) आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से/या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़/वचन/परिपत्र/ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के चैप्टर VIII के अनुकरण में आहर्ता प्राप्त संस्थागत संस्थान के मामले में :

क) आईसीडीआर के चैप्टर VIII के दायरे में ही आहर्ता प्राप्त क्रेताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाएगा, ऐसे प्रतिभूतियां पूर्णतया प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

ख) आईसीडीआर विनियम के नियम 85 (1) के प्रावधान के अनुकरण में बैंक प्रस्तावित शेयरों को फ्लोर प्राइस के पांच प्रतिशत से अधिक बट्टे पर प्राधिकृत नहीं कर सकता है।

ग) प्रतिभूतियों के लिए फ्लोर प्राइस के निर्धारण की सुसंगत तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार तय की जाएगी।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को इश्यू, आबंटन तथा बोर्ड द्वारा सहमत सूचीकरण को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान करते समय भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्व ारा अपेक्षित या अधिरोपित प्रस्ताव में किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति तथा प्राधिकार होगा।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों /प्रतिभूतियों को, यदि कोई हों, एनआरआई, एफ़आईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को इश्यू और आबंटन विदेशी मुद्रा विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर लागू कुल सीमा के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार किया जाएगा।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गत होने वाले नए इक्विटी शेयर ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1988 यथा संशोधित के अधीन होंगे एवं इन्हें हर तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी

2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/preference shares/securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended, and

शेयरों के समरूप माना जाएगा और घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो, के हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा।''

यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयर /अधिमानी शेयरों/ प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड एतदद्वारा सार्वजनिक ऑफर की शर्तें तय करने के लिए प्राधिकृत है जिसमें निवेशकों की वह श्रेणी जिनको प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, इश्यू का मूल्य, इश्यू का प्रीमियम मूल्य जिसके संबंध में बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी उचित हो, इस प्रकार के सभी कर्तव्य, कार्य, मामले और विषय के बारे में निर्णय लेने तथा ऐसे विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों के संबंध में अपने सम्पूर्ण विवेक से आवश्यक, उपयुक्त या अपेक्षित हो और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आबंटन तथा इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों व शंकाओं का समाधान करने के लिए अनुदेश देने या निर्देश देने तथा नियम व शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, अंतर, बदलाव, विलोपन, परिवर्धन को प्रभावी करने और लागू करने, जो यह अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित व उपयुक्त समझें, जिसके लिए सदस्यों से आगे अनुमोदन लेने की आवश्यकता न हो तथा इस संकल्प के द्वारा बैंक और मंडल को दी गई सभी या किसी शक्ति का प्रयोग मंडल द्वारा किया जा सकता है।'' ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतदद्वारा बही संचालक (कों), अग्रणी प्रबन्धक (कों), बैंकर(ओं), हामीदार(ओं), जमाकर्ता(ओं), रजिस्ट्रार(ओं), लेखा परीक्षक(ओं) और इस प्रकार के सभी अभिकरणों जो ऐसे इक्विटी/अधिमानी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम और इससे संबंधित कार्यों में शामिल हों या जुड़े हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे सभी संस्थाओं व एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे अभिकरणों के साथ सभी प्रकार की व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि का कार्य– निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ फार्म तथा इश्यू की शर्तें समेत निवेशकों के वर्ग जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो, प्रीमियम सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों/वारंट अधिकार/प्रतिभूतियों के भुगतान/रुपांतरण पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, भुगतान अवधि, इक्विटी शेयरों की संख्या/ अधिमानी शेयरों अथवा रुपांतरण या भुगतान पर अन्य प्रतिभूतियां या भुगतान या प्रतिभूतियों के रद्द, मूल्य, प्रीमियम या प्रतिभूतियों के निर्गम /रुपांतरण पर छूट, ब्याज दर, रुपांतरण अवधि, रिकार्ड तिथि तय करना अथवा बही बंदी और संबंधित आकस्मिक विषय, भारत में और /अथवा विदेश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने हेतु अपने पूर्ण विवेक में बोर्ड को अधिकृत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां जो शेष रह गई हैं, उनके बारे में बोर्ड जैसा भी उचित समझे उनको विधिसम्मत तरीके से अपने पूर्ण विवेक से निपटा सकता है।

shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/preference shares/ securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/ conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/ or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम से संबन्धित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रुप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतदद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यकारी निदेशक/(ओं) या निदेशकों की समिति को प्रदत्त शिक्तयों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : गुड़गांव — **मनोज सक्सेना**

दिनांक : 14.05.2015 — **महाप्रबन्धक**

टिप्पणियां:–

1. व्याख्यात्मक कथन, जिसमें मद सं. 3 से संबंधित भौतिक तथ्य दिए गए हैं, इसके साथ संलग्न हैं।

2. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुच्छेद 3(2ड़) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्यधीन, शेयर धारक के रूप में 19 जून, 2015 (कट ऑफ तिथि) तक अथवा उससे पहले पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित हरेक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के नियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयर धारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् 20 जून, 2015 को शनिवार 2.00 बजे (बैंक के कार्य समाप्ति) तक बैंक के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or in his absence to the Executive Director(s) or to the Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY THE ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Gurgaon — **MANOJ SAXENA**

Date: 14.05.2015 — **General Manager**

NOTES:-

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No.3 is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on or before 19th June, 2015 (cut off date) shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.

As per Regulation 10 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office or Corporate Office of the Bank not less than four days before the Annual General Meeting (AGM) on or before closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. of Saturday,

प्राप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कॉरपोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया हो, द्वारा सत्यापित न कर दी गयी हो, बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले अर्थात् 20 जून, 2015 को शनिवार 2.00 बजे (अपराह्न) तक बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

5. सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के मताधिकार और बैठक में घोषित लाभांश प्राप्त करने की योग्यता निर्धारित करने हेतु शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 12 जून, 2015 से 19 जून, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

ऐसे शेयरधारक जो वास्तविक धारक हैं, उन्हें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने और लाभांश प्राप्त करने हेतु केवल उन्हीं आवेदकों के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जिनके आवेदन 11 जून, 2015 या उससे पहले प्राप्त हुए हैं। वे शेयरधारक जिनके पास शेयर इलेक्ट्रानिक रूप में हैं, उनमें से वार्षिक आम बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने और लाभांश प्राप्त करने हेतु केवल वही शेयर धारक योग्य होंगे जो कि डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान किए गए लाभार्थी स्वामी सूची में दिनांक 19 जून, 2015 तक पंजीकृत हैं।

6. लाभांश का भुगतान

जैसा कि बोर्ड ने संस्तुति की है, यदि वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया, तो उसका भुगतान 22 जुलाई, 2015 को किया जाएगा।

7. लाभांश वारंट/नेशनल इलेक्ट्रोनिक क्लेयरिंग सर्विस (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण

लाभांश का वितरण करते समय और नेशनल इलेक्ट्रोनिक क्लेयरिंग सर्विस सुविधा, जहां कहीं उपलब्ध हो, का प्रयोग करने हेतु, सेबी ने बैंक सहित सभी सूचित कम्पनियों के लिए शेयरधारकों द्वारा दिए गए बैंक खातों के विवरण का उल्लेख लाभांश वारंट में करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप शेयरधारक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान एनईसीएस के माध्यम से किया जाएगा। कुछ केन्द्रों पर एनईसीएस सुविधा उपलब्ध नहीं होने और कुछ शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का लाभ नहीं लेने की स्थिति में बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण को लाभांश वारंट में प्रकाशित करेगा।

वे शेयर धारक जो वास्तविक धारक हैं वे अपना अनिवार्य बैंक विवरण बैंक निवेशक सेवाएं विभाग को अथवा शेयर अंतरण एजेंट को भेजें ताकि रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। वे शेयर धारक जिनके पास शेयर डिमेट रूप में है वे इस संबंध में आवश्यक कारवाई हेतु अपने डिपॉजिटरी भागीदार से संपर्क कर सकते हैं।

the 20th of June, 2015. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank not less than four days before the AGM before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 20th of June, 2015.

No person shall be appointed as a proxy / authorized representative who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

5. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 12th June 2015 to 19th June 2015 (both days inclusive) for asertaining eligibility of shareholders for the purpose of determining the voting rights of the shareholders at Annual General Meeting and receiving dividend declared at the Meeting.

Shareholders holding shares in physical form are hereby informed that only Requests for transfer received on or before 11th June 2015 shall be considered for the purpose of exercising voting rights at the Annual General Meeting and for receiving dividend. For shares held in electronic form, only those who stand registered in the list of beneficial owners as on 19th June 2015 provided by the Depositories shall be entitled to exercise voting rights at Annual General Meeting and to receive dividend.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 22nd July 2015.

7. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility wherever available. Direct credit to the bank account of the shareholder is done through NECS as specified by the Reserve Bank of India. In the absence of NECS facility at certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with it in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their NECS Mandate details (Form appended with the Annual Report) to the Bank or to Share Transfer Agent for necessary updating of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection.

8. अदावाकृत लाभांष, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 10ख के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् बैंक अथवा आईईपीएफ के लिए भुगतान हेतु कोई दावा नहीं रहेगा।

वर्ष 1994–95 से 2006–07 से संबंधित अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित किया जा चुका है।

जिन शेयरधारकों को वर्ष 2007–08 से 2013–14 तक लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने इसके लिए दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

वर्ष 2007–08 (अंतिम) से संबन्धित ऐसे अप्रदत्त/अदावित लाभांश जो बैंक के पास हैं उनको भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में 24.07.2015 को अंतरित कर दिया जाएगा। सभी संबन्धित शेयरधारकों को अंतिम तिथि से कम से कम एक माह पूर्व यह अनुरोध करते हुए अनुस्मारक पत्र भेजे जायेंगे कि वे अपने दावे 20.07.2015 तक भेज दें (सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। यदि 20.07.2015 तक दावा नहीं किया जाता है तो इस खाते के बकाया शेष को आईईपीएफ़ खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और तत्पश्चात इस संबंध में मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों के लिए कोई दावा शेष नहीं माना जाएगा।

9. आय का स्रोत पर कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115–ओ के अधीन शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश पर किसी प्रकार के कर की कटौती नहीं होगी।

10. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र–सह मतपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची –सह–प्रवेश पत्र–सह–मतपत्र नत्थी किया गया है। शेयरधारक/प्रोक्सी धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसमें उपलब्ध कराए गए स्थानों को भरें और हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दे दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची–सह–प्रवेश पत्र पर ''प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि'' लिखेंगे। ऐसे प्रवेश पत्रों को मतदान के समय मतपत्र लेने हेतु दे दिया जायेगा।

मद संख्या –3 से संबन्धित व्याख्यात्मक कथन

पूंजी जुटाने हेतु बैंक का कार्यक्रम

1. बैंक की वर्तमान पूंजी ₹299.85 करोड़ रुपए है तथा 31 मार्च 2015 को बैंक का पूंजी पर्याप्ता अनुपात 11.41% है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है। किन्तु बैंक के पूर्वानुमानित विकास/विस्तार योजनाओं, बासेल–III प्रतिमानों को लागू करने और परिणामतः पूंजी प्रभार को ध्यान में रखते हुए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ बनाया जा सके। जुटाई गई पूंजी को पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार लाने तथा बैंक की सामान्य निधि कारोबार की जरूरतों के प्रति उपयोग में लाया जाएगा।

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

As per the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The unpaid/unclaimed dividend pertaining to years 1994-95 to 2006-07 has already been transferred to IEPF.

The shareholders who have not received or claimed the dividend pertaining to years 2007-08 to 2013-14 till now, are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, Link Intime India Pvt. Ltd for issue of duplicate dividend warrant.

The Unpaid / Unclaimed Dividend for the year 2007-08 lying with the Bank shall be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on 24.07.2015 as per Government of India guidelines. Reminder letters shall be sent to all concerned shareholders at least one month before the due date requesting them to send their claims by 20.07.2015 (list available on Bank's website). If not claimed by 20.07.2015, the balance remaining outstanding in this account will be transferred to IEPF account and thereafter no claim in respect thereof shall be available to the shareholders in terms of existing statutory provisions.

9. DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

Under Section 115-O of the Income Tax Act, 1961, no tax will be deducted at source in respect of dividend paid to the shareholders.

10. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-ballot paper pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.3

CAPITAL RAISING PROGRAMME OF THE BANK

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹299.85 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March 2015 is 11.41%, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of the projected growth / expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

2. 16 सितंबर 2014 को बैंक की आसधारण आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बैंक के शेयरधारकों द्वारा पब्लिक इश्यू/राइट्स इश्यू/प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा ₹1500 करोड़ से अनधिक राशि को जुटाने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया, जिसके अनुसार निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक से लागू विधियों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप जैसा भी उचित समझें बशर्ते कि इसके लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी एवं अन्य अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त कर लिए गये हो।

सेबी के अध्याय VIII (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) 2009 के अनुसार, विशेष संकल्प की वैधता एक वर्ष की है और तदनुसार उपरोक्त संकल्प लागू करने के लिए आवश्यक है कि शेयरों का आबंटन कार्य 15 सितंबर 2015 तक पूर्ण कर लिया जाए। तथापि, बाजार के रुझाण को देखते हुए, बैंक मार्च, 2016 तक किसी भी अनुमत मोड के माध्यम से पूंजी जुटा सकता है।

अतएव, बैंक के शेयरधारकों द्वारा 16 सितंबर, 2014 को पारित विशेष संकल्प की वैधता के विस्तार के लिए, बैंक को पुनः विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

3. तथापि, सूचीकरण करार के खंड 23 के उप खंड (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा कोई आगामी निर्गम अथवा प्रस्ताव किए जाने पर वर्तमान शेयरधारकों को यह यथानुपातिक आधार पर दिया जाए, जब तक कि आम बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें। उक्त संकल्प पारित होने पर, मंडल बैंक की ओर से वर्तमान शेयरधारकों को यथानुपातिक आधार के अलावा अन्यथा प्रतिभूतियां जारी व आबंटित कर सकेगा।

4. पब्लिक ऑफर, राईट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इक्विटी शेयरों/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों को बनाने, प्रस्ताव, आबंटन करने के लिए प्रस्तावित विशेष संकल्प के सदस्यों से बिना किसी अगले अनुमोदन की आवश्वयकता के निदेशक मंडल (बोर्ड) हेतु बैंक के सदस्यों के प्राधिकरण को सक्रिय करना।

5. इसके अतिरिक्त, यह संकल्प निदेशक मंडल को यह अधिकार देता है कि वह आईसीडीआर विनियमों द्वारा यथापरिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों के साथ अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन लाए। निदेशक मंडल अपने विवेकानुसार बैंक की निधियां जुटाने के लिए आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसके लिए उन्हें शेयरधारकों से नए सिरे से अनुमोदन नहीं लेना होगा। आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के अनुसार क्यूआईपी निर्गम होने के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गम, संगत तारीख से पूर्व 2 सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न मूल्य के औसत से कम मूल्य पर नहीं किया जा सकता है। ''संगत तारीख'' का तात्पर्य है उस बैठक की तारीख जब बैंक का मंडल या समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने का निर्णय लेता है।

6. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों व नियमों का निर्धारण सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों तथा हामीदारों तथा अन्य एजेंसियों, जिनकी आवश्यकता हो, के परामर्श से वर्तमान बाजार दशाओं तथा अन्य नियामक अपेक्षाओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

2. At the Extra ordinary General Meeting (EGM) of the Bank held on 16th September 2014, a special resolution was passed by the shareholders of the Bank for raising of capital for an amount not exceeding ₹1500 crore by way of Public Issue/ Rights Issue /Private Placement as the Board may in its absolute discretion think fit pursuant to applicable laws and guidelines and subject to approval of Central Government, Reserve Bank of India, SEBI and other required approvals.

As mentioned in the Notice of aforementioned EGM, in terms of Chapter VIII of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) 2009, the validity of the special resolution is one year and consequently the allotment of shares pursuant to the aforesaid resolution is required to be completed by 15th September 2015. However, in view of the prevailing market sentiments, the Bank may raise capital through any of the permitted modes upto March 2016 subject to necessary approvals.

Therefore, the Bank is again required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution to give extension to the validity of the special resolution passed on 16th September, 2014.

3. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

4. The proposed special resolution seeks the enabling authorization of the Members of the Bank to the Board of Directors (Board), without the need of any further approval from the Members, to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/securities by way of Follow on Public offer, Rights Issue, Private Placement.

5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders. In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other agencies as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

7. आबंटित किए गए ईक्विटी शेयर सभी प्रकार से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे। प्रस्ताव के अनुसार निर्गमित शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होंगे। इस उद्देश्य हेतु विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों से सहमति लेना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति के लिए अनुरोध किया जाता है।

बैंक के निदेशक मंडल संलग्न सूचना की मद संख्या 3 में दिए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक इस विशेष संकल्प में हितबद्ध अथवा संलिप्त नहीं है।

अन्य जानकारियां

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारक कृपया शेयर अमूर्त रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर बैंक के आरटीए लिंक इनटाइम प्रा. लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के आरटीए को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे हमारे या हमारे रजिस्ट्रार के पास ई–मेल आई.डी. पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि ई–मेल द्वारा भेज सकें, फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर (डीमैट) अमूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ई–मेल आई.डी. संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- वित्त वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रॉनिक प्रति, जिसके साथ बैंक की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक की इलेक्ट्रोनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई–मेल आईडी बैंक/डिपोजीटरी सहभागियों के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको वित्त वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ–साथ बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस प्रति, जिसमें ई–वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।

7. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the offering would be listed on the stock exchanges. For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors of the Bank recommends the passing of the proposed Special Resolution as set out in Item No.3 of the accompanying notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the Resolutions.

OTHER INFORMATION

- Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to Link Intime India Pvt. Ltd., Bank's RTA in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to Bank's RTA for consolidation into single folio.
- The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail, (Form appended with the Annual Report). The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.
- Electronic copy of the Full Annual Report of the Bank for FY 2014-15 inter alia containing Notice of the 21st Annual General Meeting indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of Abridged Annual Report of the Bank for FY 2014-15 inter alia containing Notice of the 21st Annual General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.

- सदस्य कृपया नोट करें कि 21वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस तथा वित्त वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट https://www.obcindia.co.in पर डाऊनलोड हेतु उपलब्ध है। इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, गुड़गांव में उपलब्ध होंगी। ई–रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सदस्य भौतिक रूप में इन सूचनाओं को डाक द्वारा निःशुल्क पाने के हकदार हैं लेकिन इसके लिए उनको अनुरोध करना होगा। किसी भी जानकारी के लिए शेयरधारक अपना अनुरोध बैंक की इन्वेस्टर ई–मेल आईडीः mbd@obc.co.in पर भेज सकते हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

I. सूचीबद्ध समझौते के खंड 35ख के अनुपालन में बैंक ने 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत हैं ताकि प्रदत्त ई–वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यवसायिक संव्यवहार की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा सके। सदस्यों को (रिमोट ई–वोटिंग हेतु) एजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान करने की सुविधा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

II. एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान देने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का उपयोग नहीं किया है वे बैठक में मतपत्र द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

III. सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई–वोटिंग 23 जून, 2015 (प्रातः 9:00 बजे) से प्रारम्भ होकर 25 जून, 2015 को (सांय 5.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि में 19 जून 2015 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक सदस्य अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद सदस्य को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V. ई–वोटिंग की पद्धति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

क. किसी सदस्य को एनएसडीएल से ई–मेल प्राप्त होने पर (वे सदस्य जिनका ई–मेल पता बैंक/ डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट के पास पंजीकृत है) :

(i) अपनी क्लाइंट आईडी या पासवर्ड के रूप में फोलियो नंबर से ई–मेल एवं पीडीएफ़ फाइल खोलें अर्थात रिमोट ई–वोटिंग पीडीएफ़। रिमोट वोटिंग के लिए इस पीडीएफ़ फाइल में आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन दिया गया है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है।

(ii) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.comè टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र चलाएं।

- Members may also note that Full Annual Report of the Bank for FY 2014-15 inter alia containing Notice of the 21st Annual General Meeting of the Bank will also be available on the Bank's website https://www.obcindia.co.in for download. Even after registering for e-communication, members are entitled to receive Full Annual Report in physical form, by post free of cost on sending request to the Bank at mbd@obc.co.in or to RTA at delhi@linkintime.co.in.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

I. In compliance with the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement, the Bank is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 21st Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The remote e-voting period commences on 23rd June, 2015 (9:00 am) and ends on 25th June, 2015 (5:00 pm). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 19th June, 2015, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

V. The process and manner for remote e-voting are as under:

A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank /Depository Participants(s)] :

(i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting. pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.

(ii) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

(iii) शेयरहोल्डर – लॉगिन पर क्लिक करें।

(iv) यूजर आईडी एवं पासवर्ड को हस्ताक्षर पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करें/ पिन को उपरोक्त स्टेप (1) के अनुसार नोट किया जाए। लॉगिन को क्लिक करें।

(v) आपको पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखेगा। पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड/पिन से बदलें जो कम से कम 8 अंकों/ शब्दों का हो या मिले जुले स्वरूप का हो। नए पासवर्ड को नोट करे लें। परामर्श है कि आप पासवर्ड किसी को न बताए, किसी से शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गुप्त रखें।

(vi) रिमोट ई–वोटिंग का होमपेज खुल जाने पर रिमोट ई–वोटिंग पर क्लिक करें : वोटिंग चक्र प्रारम्भ हो जाएगा।

(vii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स "EVEN" का चयन करें।

(viii) जैसे ही कास्ट वोट पेज खुलता है आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं।

(ix) सही विकल्प चुनते हुए आप वोट दे सकते हैं तथा प्रॉम्प्ट होते ही सबमिट पर क्लिक कर ''कनफर्म'' भी कर सकते हैं।

(x) पुष्टि होने पर, वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है पटल पर दिखेगा।

(xi) संकल्प पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद आपको वोट में संशोधन कि अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xii) संस्थागत शेयरधारक (जैसे, वैयक्तिक के अतिरिक्त, एच.यू.एफ., एन.आर.आई इत्यादि) जो वोट देने के लिए अधिकृत है, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि स्कैन प्रति (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) के साथ अपने सत्यापित नमूना, हस्ताक्षर के साथ जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से विधिवत अधिकृत हो वे अंकेक्षक के माध्यम से ई–मेल **amitguptacs@gmail.com** तथा एक प्रति **evoting@nsdl.co.in** को प्रेषित करें।

(ख) किसी सदस्य को वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त होने पर वे सदस्य जिनका ई–मेल पता बैंक/ डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत है अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध हो,

(i) प्रारंभिक पासवर्ड वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न पृथक शीट पर दिया जाता है।

EVEN (रिमोट ई–वोटिंग इवेंट नंबर) यूजर आईडी पासवर्ड/पिन

(ii) कृपया उपरोक्त क्र.सं. (ii) से क्र.सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें और मतदान करें।

VI किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध रिमोट ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर संपर्क कर सकते हैं।

VII यदि आप पहले से रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं।

VIII आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर एवं ई–मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे भविष्य में पत्राचार हेतु उपयोग किया जा सकता है।

(iii) Click on Shareholder - Login

(iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.

(v) Password change menu appears. Change the password/ PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.

(vii) Select "EVEN" of Oriental Bank of Commerce.

(viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.

(ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

(x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to simultaneously send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to **amitguptacs@gmail.com** with a copy marked to **evoting@nsdl.co.in.**

B. In case a Member receives physical copy of the Notice of AGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :

(i) Initial password is provided on the Separate Sheet annexed to the Annual Report of the Bank:

EVEN (REMOTE E-VOTING EVENT NUMBER) USER ID PASSWORD/PIN

(ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

VI In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

VII If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

VIII You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

IX सदस्यों के मताधिकार, 19 जून 2015 को निर्दिष्ट तारीख के अनुसार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे, यह भारत सरकार से इतर कुल मताधिकार के अधिकतम 10% अध्याधीन होगा।

X कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के शेयरों को अर्जित किया है तथा सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है तथा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 19.05.2015 के अनुसार शेयरों को रखता है तो वे **evoting@nsdl.co.in** अथवा बैंक के रजिस्टार, लिंक इनटाइम प्रा.लि. को **delhi@linkintime.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

तथापि, यदि आप पहले से रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ऑप्शन "Forgot User Details/Password" के द्वारा रिसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 1800–222–990 पर संपर्क कर सकते हैं।

XI सदस्य, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है परंतु वार्षिक आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

XII सदस्य, जिनका नाम निर्दिष्ट तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभग्राही मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे केवल रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के साथ–साथ मतदान पत्र के द्वारा वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

XIII मैसर्स अमित गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स के श्री अमित गुप्ता (प्रोप्राइटर) (सदस्य सं. एफ़ 5478, सीपी सं. 4682) को अंकेक्षक (स्क्रूटेनाइजर) नियुक्त किया गया है जो बैंक के सदस्यों को वोटिंग अंकेक्षण तथा रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न करने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

XIV वार्षिक आम बैठक में संकल्पों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना वोट नहीं दिया है, अंकेक्षक की सहायता से मतपत्र द्वारा वोटिंग की अनुमति देंगे।

XV आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद अंकेक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा जिसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक द्वारा नियोजित न हों के सकक्ष रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा एजीएम की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेक्षक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।

XVI अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं एनएसडीएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा इन परिणामों को तत्काल एनएसई एवं बीएसई को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा।

IX The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank subject to maximum of 10% of the total voting rights othen than the Central Government as on the cut-off date of 19th June, 2015.

X Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 19th June, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or to Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at **delhi@linkintime.co.in**

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

XI A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

XII A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

XIII Mr. Amit Gupta (Membership No. F5478, C.P. No. 4682) Proprietor of M/s. Amit Gupta & Associates has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XIV The Chairman shall at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

XV The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

XVI The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the NSE and BSE.